



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref.....

सेवा में,

मेसर्स ग्लोबल इन्वायरो लेबोरेट्रीज,

प्लॉट नं०-4, खसरा नं०-45,

अपोजिट श्री मनन धाम टेम्पल, इण्डस्ट्रियल एरिया,

8 किमी० माइलस्टोन, मोरता, मेरठ रोड, गाजियाबाद।

**विषय:** वायु प्रदूषण अनुश्रवण/जांच सम्बन्धी कार्यों हेतु वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-7 (उपधारा-2) के अन्तर्गत प्रयोगशाला को बोर्ड से मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन दिनांक 14.12.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि बोर्ड के सक्षम अधिकारी की अनुमति से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-7 (उपधारा-2) के अन्तर्गत वायु प्रदूषण अनुश्रवण/जांच संबंधी कार्यों हेतु आपकी प्रयोगशाला को निम्न शर्तों के साथ पत्र निर्गमन की तिथि से 02 वर्ष की अवधि हेतु मान्यता प्रदान की जाती है:-

1. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित विधियों/प्रोटोकाल के अनुसार परिवेशीय वायुगुणता का अनुश्रवण एवं औद्योगिक उत्सर्जन की जांच आदि का कार्य किया जायेगा।
2. यदि किसी प्रयोगशाला द्वारा किसी उद्योग में वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र की स्थापना भी की गयी हो तो उसके स्वयं के प्रयोगशाला द्वारा ऐसे लगाए गए संयंत्र की प्रदूषण नियंत्रण क्षमता की जांच रिपोर्ट मान्य नहीं होगी। उनका दूसरी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में जांच करानी होगी।
3. प्रयोगशाला द्वारा जिस उद्योग के उत्सर्जन की जांच किया जाना प्रस्तावित हो उसकी तिथि एवं समय की पूर्व सूचना बोर्ड के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय/केन्द्रीय प्रयोगशाला को कम से कम एक सप्ताह पूर्व उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रयोगशाला द्वारा किसी भी समय जांच में यदि यह पाया जाता है कि प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषण में अनियमितता की जा रही है तो ऐसी दशा में प्रयोगशाला की मान्यता को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
5. प्रयोगशाला द्वारा किए जाने वाले वायु अनुश्रवण/स्टैक अनुश्रवण एवं गैसीय नमूनों के विश्लेषण आदि की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बोर्ड द्वारा समय-समय पर एनालिटिकल क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कराया जाएगा।
6. प्रयोगशाला द्वारा नमूना एकत्रण विश्लेषण आदि का पूर्ण विवरण सुरक्षित रखा जाएगा एवं बोर्ड के सक्षम अधिकारी द्वारा किसी भी समय जांच हेतु मांगने पर उपलब्ध कराया जाना होगा।
7. लाल श्रेणी के (बृहद, मध्यम एवं लघु) एवं नारंगी श्रेणी (बृहद एवं मध्यम) उद्योगों को बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस, निक्षेपण एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रकरणों में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्वयं की प्रयोगशालाओं द्वारा सम्बन्धित उद्योगों में किये गये औद्योगिक उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायुगुणता की जांच रिपोर्ट ही मान्य होगी।
8. प्रयोगशाला के स्थल में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी पूर्व सूचना बोर्ड को दी जानी होगी।
9. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से प्रयोगशाला की प्राप्त मान्यता की वैधता समाप्त होने की दशा, वैधता समाप्त होने की तिथि से 02 माह के अन्दर वैधता का नवीनीकरण करा कर बोर्ड में प्रस्तुत किया जाएगा। निर्धारित समयवधि में वैधता का नवीनीकरण प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में बोर्ड द्वारा प्रदान की गयी मान्यता को निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जा सकती है।

भवदीय,

(राम गोपाल)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि: मुख्य पर्यावरण अधिकारी, प्रशासन, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गौमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khanda, Gouti Nagar,  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com  
Web Site : www.uppcb.com